(20)

समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क /20117 रिव्यू 1183-I-17

अनेक सिंह पुत्र श्री पंचम सिंह व्यवसाय खेती निवासी ग्राम कृष्णगंज परगना पोहरी जिला शिवपुरी म.प्र. । ....आवेदक

श्री .... द्वारा आज दि. 18-4-17 को प्रस्तुत 18-4-17 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

म0प्र0 शासन

............अनावेदक

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अतर्गत धारा 51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 निगरानी प्रकरण क 440/दो/20017 में पारित आदेश दिनांक 1.04.2017 के विरूद्ध

18-4-17

श्रीमान जी,

आवेदक की ओर से अपील आवेदन पत्र निम्नानुसार है। :–

पुर्नविलोकन आवेदन संक्षेप मे तथ्यः–

प्रकरण के सूक्ष्य में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ,

1. यहकि, आवेदक द्वारा अपर आयुक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी श्रीमान के न्यायालय के समक्ष निगरानी क 440/दो/2017 प्रस्तुत की गई जिस निगरानी को श्रीमान न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 1.4.2017 से निगरानी अग्राह्य कर दी गई जिस आदेश को पुर्नविलोकन किये जाने हेतू यह आवेदन श्रीमान के न्यायालय में सादर प्रस्तुत है जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण आशा है।
2. यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पटवारी ग्राम की मिथ्या ,झूठी वनावटी द्वेष भावना पूर्ण रखते हुये एक रिपोर्ट के आधार पर से आवेद को एक सूचना पत्र इस आशय का दिया गया कि , आपके द्वारा ग्राम कृष्णंगज आवादी भूमि सर्वे क 211 रकवा 0. 261 हे0 के रकवा **25X10** फुट भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्भाण कार्य

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – रिव्यू 1183–दो/17 जिला – शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-05-17	प्रकरण का अवलोकन किया। यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक निग0 440–दो/2017 में पारित आदेश दिनांक 01–4–17 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेष का अध्ययन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है। आवेदक सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	